

फर्द अहकाम

न्यायालय — स्थापक कलम 22 बस्ती जि. जयपुर

आक्रियेक बनाम विरदीचन्द

मुकदमा संख्या/वर्ष : 45 / 2020

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे
	11/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई प्राची अधिवक्ता उपस्थित। मूलवाद में अप्राची सं. 1 लग 7 के विरुद्ध सम्यक तारीख मानी जकर एक पक्षीय कार्यवाही अगल में लाई जा चुकी है प्राची अधिवक्ता की मार्गना पत्र अध्यायी निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय वदस चुनी गई।</p> <p>पत्रावली पर उपलवध रिपोर्ट का अवलोकन करने एवं प्राची अधिवक्ता द्वारा दोराने वदस जादिर तथ्यों पर मनव करने के उपरान्त विवादित आराजी खसरा न. 99 रकबा 1.0292 हेम्ट स्थित ग्राम हिमपुरा वद. तूंगा व खसरा न. 1109 रकबा 0.68 हेम्ट स्थित ग्राम तूंगा तद. तूंगा जि. जयपुर के संबंध में अप्राचीगणी की जरिये अध्यायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी से संबंधित मूलवाद 66/2020 उन्नवान आक्रियेक बनाम विरदीचन्द</p>	

8

फर्द अहकाम

सहायक कलेक्टर बस्ती जिला - जयपुर
 आगिषेक बनाम - निरिडी गड
 मुकदमा संख्या/वर्ष : 45/2020

क्र.सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>के ताकेलला वाद के उम्त खलरा न. पर जोड़े की यथास्थिति बनाये रखी। पत्रावली के लल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दर्जतर होकर नम्बर ले कम है।</p> <p>सहायक कलेक्टर बस्ती जिला - जयपुर ग्रामीण</p>	